

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
(सामान्य न्यायालय)

वाद सं0 – एम0 05/2023

वाद की प्रकृति :- धारा – 107, द0प्र0सं0

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर –बनाम— कहरु ग्वाला, प्लासीदास तिग्गा वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक –सह— थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के चैनपुर थाना अप्राथमिकी सं0 – 05/2023, दिनांक – 13.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 107 के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष कहरु ग्वाला, प्लासीदास तिग्गा, प्रकाश तिग्गा, सभी पता— ग्राम छिछवानी, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रं0 | मौजा | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा | अभि0 |
|-------|--------|----------|-----------|----------|------|
| 1. | चैनपुर | 08 | 42 | 2.33 डी0 | |

प्रश्नगत वाद की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा विधि-व्यवस्थ भंग होने की सूचना नहीं दी गई है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 107 के तहत विर्तिदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही बिना गुण-दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)